# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—168/2018/223 (2018/00168)

1. जयसिंह पुत्र जोरसिंह, जाति राजपूत, निवासी दौलतखेड़ा, तह0पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी वेदविहार कॉलोनी, दादूदयाल स्कूल के पास लोहाखान, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री जोरसिंह पत्नि कल्याणसिंह, जाति राजपूत, निवासी दौलतखेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर हाल निवासी वेदविहार कॉलोनी, दादूदयाल स्कूल के पास लोहाखान, अजमेर ।
2. श्रीमती सज्जन कंवर पुत्री जोरसिंह पत्नि रेवतसिंह,जाति राजपूत, निवासी दौलतखेड़ा, हाल निवासी मकान नंबर 11/497 एच.एम.टी. के पीछे उमरावती नगर, टेम्पो स्टेण्ड के पास, चन्द्रवरदाई नगर, ब्यावर रोड़, अजमेर ।
3. समंदर सिंह पुत्र फूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
4. उम्मेदसिंह पुत्र फूलसिंह, जाति राजपूत, निवासी दौलतखेड़ा हाल निवासी मकान नंबर 11/497 एच0एम0टी0 के पीछे उमरावती नगर, टेम्पो स्टेण्ड के पास, चन्द्रवरदाई नगर, ब्यावर, रोड़, अजमेर ।
5. सायरसिंह पुत्र सवाईसिंह,
6. कृपालसिंह पुत्र भंवरसिंह,
7. हैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह (फौत) जरिये वारिसानः—
   7/1— प्रकाश कंवर बेवा हेतानसिंह, जाति राजपूत, निवासी दौलतखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 23.6.2017 अंतर्गत वाद संख्या 1/2015.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील रेस्पो0 संख्या 7/1.
4. रेस्पो0 संख्या 2, 3, 4 5 एवं 6 अनुपस्थित ।
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8.

## <u>निर्णय</u>

दिनांकः— 8.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2. वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रतिवादी अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 एवं 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है । पक्षकारान जोरसिंह पुत्र फूलसिंह के वारिसान है जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है और आराजी खसरा नंबर 388 रकबा 0.25 है0 नामांतकरण संख्या 364 दिनांक 4.9.2013 को जीएसपीएल इण्डिया गैस नेट लि0 गांधीनगर गुजरात के नाम दर्ज हो चुकी है जिसे वाद में शामिल नहीं करते हुए वादिया ने निवेदन किया कि विवादित आराजियात का न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है और प्रतिवादीगण बिना बंटवारा के विवादित आराजियात का बैचान करने आमादा हो रहे है इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है । अन्त में वादी ने वाद की प्रार्थना के अनुसार वाद को डिक्री करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.2017 द्वारा वादिया का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना विधिवत् नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरसरी तौर पर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार अपीलांट का पिता जोरसिंह था जिसने अपने जीवनकाल में अपीलांट जयसिंह उसकी पत्नि चन्द्रकंवर के नाम अपनी अंतिम इच्छा के द्वारा दिनांक 1.10.2013 को वसीयत कर दी एवं वसीयत के आधार पर अपीलांट आराजी का खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पो0 का विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं होते हुए भी अधी0न्याया0 ने वादी के वाद को डिक्री करने मे त्रुटि की है । खातेदार जोरसिंह की उक्त वसीयत अंतिम थी । जब तक रेस्पो0 उपरोक्त वसीयत को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती तब तक उसे राजस्व वाद के माध्यय से किसी प्रकार की दादरसी प्रदान नहीं की जा सकती है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 23.6.2017 अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में पारित किया गया था जिससे अपीलांट को निर्णय व डिक्री की तत्समय जानकारी नहीं हो सकी थी । निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.6.2018 को उस समय हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलांट को बताया कि प्रकरण का निस्तारण उनके विरूद्ध हो गया है इस अपीलांट दिनांक 5.6.2018 को पीसांगन गया एवं जानकारी करने पर निर्णय की पुष्टि होने पर दिनांक 5.6.2018 को ही अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 7.6.2018 को निर्णय की नकल प्राप्त

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

कर फीस आदि की व्यवस्था कर अधिवक्ता से कानूनी सलाह उपरांत यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 एवं अपीलांट तथा रेस्पो0 संख्या 2 जोरसिंह पुत्र फूलसिंह के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 4 फूलसिंह के पुत्र होकर सगे भाई है। वादिया के पिता जोरसिंह की तन्हा खातेदारी की भूमि एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम दौलतखेड़ा में खाता संख्या 70 नया पुराना 54 के खसरा नंबर 363, 385, 387, 678, 955 व 962, 381/1052 व 385/1054 अवस्थित है जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है । इस खाते में खसरा नंबर 388 रकबा 0.25 है0 जरिये नामांकरण संख्या 364 जी0एस0पी0एल इण्डिया गैसनेट लि0 गांधीनगर, गुजरात के नाम दर्ज हो चुका है इसलिये इस आराजी को वाद में शामिल नहीं किया गया था । इसी प्रकार खाता संख्या नया 71 पुराना 55 के खसरा नंबर 959, 961/1096, 967/1174 में जोरसिंह का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है । इस कारण इस आराजी में वादिया का 1/9 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार अन्य खाता संख्या 221 नया पुराना 200 के खसरा संख्या 390/1305 में वादिया के पिता जोरसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का 1/2 हिस्सा निहित है । अर्थात् वादिया के पिता का 1/6 हिस्सा निहित है जिसमें वादीया का 1/18 हिस्सा निहित है एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 5 से 6 का है । विवादित आराजियात अविभाजित है जिस पर वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजियात वादिया की पुश्तैनी है जिसमें उसका भी हक व अधिकार जन्म से निहित है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से वाद स्वीकार किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के अनुसार विवादित आराजियात का मूल खातेदार जोरसिंह वल्द फूलसिंह कौम राजपूत था। जोरसिंह की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतकरण संख्या 384 दिनांक 10.6.2014 से विवादित आराजियात जौरसिंह वल्द फूलसिंह के स्थान पर इनके वारिसान जयसिंह पि0 जोरसिंह, भंवरकंवर, सज्जनकंवर पुत्रियां जोरसिंह कौम राजपूत सा0देह खातेदार के नाम अंकन स्वीकार किया गया है । अपीलांट ने विवादित आराजियात खातेदार जोरसिंह द्वारा दिनांक 1.10.2013 को अपीलांट जयसिंह एवं उसकी पत्नि चंद्रकंवर के नाम वसीयत किये जाने के आधार पर हस्तगत अपील पेश की है किन्तु अपीलांट ने तथाकथित वसीयत पेश नहीं की है ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया है जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजियात मृतक खातेदार जौरसिंह की स्वअर्जित आराजियात थी । विवादित आराजियात के मूल खातेदार जोरसिंह की मृत्यु उपरांत मृतक खातेदार के समस्त

विधिक वारिसान का विवादित आराजियात में बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है । विद्वान अधी0न्याया0 के समक्ष बंटवारा का वाद पेश होने पर अधी0न्याया0 ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के मध्य बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है । यदि अपीलांटस को बंटवारा प्रस्ताव से कोई आपत्ति है तो वे अधी0न्याया0 के समक्ष अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व ऐतराज पेश कर सकते है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने अपील कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जानी योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.6.2017 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 8.9.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

# डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)**

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः– श्रीमती मेघना चौधरी, आर.ए.एस.

जयसिंह पुत्र जोर सिंह जाति राजपूत निवासी दौलतखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी वेदविहार कॉलोनी, दादूदयाल स्कूल के पास लोहाखान अजमेर ।

बनाम

श्रीमती भंवर कवंर पुत्री जोर सिंह पत्नि कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी दौलतखेड़ा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी वेदविहार कॉलोनी, दादू दयाल स्कूल के पास लोहाखान अजमेर व अन्य ।

– – –

अपील संख्या 168/2018 (2018/00168) ब नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन मुबर्खे 23 माह 06 सन् 2017, प्रकरण संख्या 1/2015,

दावा बाबत् : अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए राज. काश्तकारी अधिनियम.1955

यह अपील ब तारीख 08 माह 09 सन् 2021 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिरी श्री मदन लाल गुर्जर एड़वोकेट मिनजानिब अपीलांट,व श्री अजीत सिंह राठौड एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01, श्री लक्ष्मण नाथ योगी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 7/1, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 06 अनुपस्थित, श्री विकास पाराशर रेस्पोडेन्ट संख्या 08 राजकीय अभिभाषक समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:– अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी,पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.06. 2017 यथावत् रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक—X— रूपये—X—. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का—X— अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 08 माह 09 .सन् 2021 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

| अपीलांट | रूपये | पैसे | रेस्पोडेन्ट | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.स्टाम्प अपील | – | | 1.स्टाम्प वकालतनामा | – | |
| 2.स्टाम्प वकालतनामा | – | | 2.स्टाम्प अर्जी | – | |
| 3.इजराय हुक्मनामा | – | | 3.इजराय हुक्मनामा | – | |
| 4.वकील फीस बाबत् | – | | 4.महनताना वकील | – | |
| मीजान | – | | मीजान | – | |

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।